दिनांक 22 जनवरी, 1987

सं०ओ०वि०/अम्बाला/102-86/3560.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट कारपोरेशन लि० एस. सी. ओ. 147-148 सैक्टर 17 सी चण्डीगढ़ के श्रमिक मिस सोमती देवी पुत्री श्री नरसिंह गांव, व डाकखाना मोरनी हिल्ज, तहसील कालका जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या सोमती देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

दिनांक 23 जनवरी, 1987

सं० ओ०वि०/भिवानी/142-86/3589.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा, बेयर हाउसिंग कारपोरेशन सैक्टर 17ई, चण्डीगढ़ (2) दी मैनेजर स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन, रोहतक (3) दी मैनेजर स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन, भिवानी के श्रमिक श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश राव मोहल्ला रावों का चरखी दादरी, जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है।

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित है :—

क्या श्री कृष्ण कुमार राव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./एफ.डी./84-86/3627.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० मैटल कास्ट प्लाट नं० 278, सक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम फल पुत्र श्री बलराम, ग्राम सरमथला पोस्ट दोहला, जिला गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20-6-78 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री रामफल की सेवा समाप्त/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?